

## बिहार सरकार

### नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक- 10/03/17

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2015-16 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत नाला निर्माण मद की योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में देनदारी की कुल राशि ₹137.452 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख पैतालीस हजार दो सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

**आदेश:-** स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत नाला निर्माण मद से संबंधित निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को विभागीय पत्रांक- 2513, दिनांक- 18.05.2015 द्वारा मात्र प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक- 2041, दिनांक- 28.02.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त योजना का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही योजना के लिए स्वीकृत राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०-250 दिनांक-10/03/17 के आलोक में नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन मद से निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में पूर्व से स्वीकृत राशि के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 में तालिका के स्तम्भ- 6 में अंकित कुल ₹137.452 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख पैतालीस हजार दो सौ रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

| क्र० सं० | निकाय का नाम   | योजनाओं का नाम  | पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | अवशेष राशि | वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटित कुल देनदारी की राशि |
|----------|----------------|---|--|------------|---|
| 1        | 2              | 3   | 4  | 5          | 6   |
| 1.       | नगर निगम, पटना | कंकड़बाग अंचल के कंकड़बाग पुरानी बाईपास से चांदमारी रोड पानी टंकी चौराहा तक (नया कार्य) | 137.452                                      | 137.452    | 137.452   |

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹137.452 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ रु०) मात्र।

3. आवंटित कुल ₹137.452 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/ वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

5. आवंटित राशि ₹137.452 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष-02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- P2215021910102, विषय शीर्ष- 31 05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

6. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10-3-17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-14/2014 251 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 10-3-17  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10-3-17

सरकार के विशेष सचिव।

4/3/17

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 10/01/17

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2015-16 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत नाला निर्माण मद की योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में देनदारी की कुल राशि ₹137.452 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख पैतालीस हजार दो सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

**आदेश:-** स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत नाला निर्माण मद से संबंधित निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को विभागीय पत्रांक- 2513, दिनांक- 18.05.2015 द्वारा मात्र प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. उपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक- 2041, दिनांक- 28.02.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त योजना का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही योजना के लिए स्वीकृत राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध के आलोक में नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन मद से निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में पूर्व से स्वीकृत राशि के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 में तालिका के स्तम्भ- 6 में अंकित कुल ₹137.452 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख पैतालीस हजार दो सौ रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

| (राशि लाख में) |                |   |  |            |  |
|----------------|----------------|---|--|------------|--|
| क्र० सं०       | निकाय का नाम   | योजनाओं का नाम  | पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | अवशेष राशि | वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत कुल देनदारी की राशि |
| 1              | 2              | 3   | 4  | 5          | 6  |
| 1.             | नगर निगम, पटना | कंकड़बाग अंचल के कंकड़बाग पुरानी बाईपास से चांदमारी रोड पानी टंकी चौराहा तक (नया कार्य) | 137.452                                      | 137.452    | 137.452  |

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹137.452 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख पैतालीस हजार दो सौ रु०) मात्र।

*इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।*

3. स्वीकृत कुल ₹137.452 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख पैतालीस हजार दो सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
4. राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/ वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।
5. स्वीकृत राशि ₹137.452 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख पैतालीस हजार दो सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष-02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- P2215021910102, विषय शीर्ष- 31 05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।
6. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।
7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
8. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-
  - (i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।
  - (ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-14/2014 के पृष्ठ सं०- 43 /टि० पर दिनांक- 09.03.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 43 /टि० पर दिनांक- 09.03.2017 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-14/2014 250 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 10-3-17

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।